रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 2001/कार्तिक 30, 1923
No. 585] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2001/KARTIKA 30, 1923

CENTRAL R. ... LIBRARY

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 857(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 40 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) नियम, 1993 के नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (i) में "सेवा के प्रत्येक संपूरित कलैण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए पन्द्रह दिन की दर से उपार्जित छुट्टी" शब्दों के स्थान पर "सेवा के प्रत्येक संपूरित कलैण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए 30 दिन की दर से उपार्जित छुट्टी" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 15011/42/2001-एचआर]
सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (एचआर)

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. सं. 760(अ) तारीख 23 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन सा. का. नि. 8(अ) तारीख 7 जनवरी, 1994 सं. सा. का. नि. 548(अ) तारीख 20 जुलाई, 1999 और सं. सा. का. नि. 837(अ) तारीख 20 अक्तूबर, 2000 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2001

G.S.R. 857(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 1993, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Amendment Rules, 2001

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 1993, in clause (i) of sub-rule (1) of rule 4, for the words and figure "earned leave @ 15 days for every completed calendar year of service", the words and figure "earned leave @ 30 days for every completed calendar year of service", shall be substituted.

[F. No. 15011/42/2001-HR]
SURENDRA KUMAR, Jt. Secy. (HR)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 760(E) dated the 23rd December, 1993 and subsequently amended vide G S R. 8(E) dated the 7th January, 1994, No. G.S.R. 548(E) dated the 20th July, 1999 and No. G.S.R 837(E) dated the 20th October, 2000.

3588 GI/2001

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode